न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील संख्याः—12 / 2021(जीसीएमएस नम्बर 2021 / 78)

1. मातादीन पुत्र भग्गाराम, जाति गुर्जर निवासी तुराणा तहसील नारायणपुर जिला अलवर।

——अपीलान्ट

बनाम

1. पप्पूड़ी देवी पत्नी श्रीराम, जाति गुर्जर, निवासी तुराणा, तहसील बानसूर जिला अलवर, राजस्थान।
2. मनोज कुमार पुत्र श्रीराम, जाति गुर्जर, निवासी तुराणा, तहसील बानसूर जिला अलवर, राजस्थान।
3. रामजीलाल पुत्र उमराव, जाति गुर्जर, निवासी तुराणा, तहसील बानसूर जिला अलवर, राजस्थान।
4. रामवतार पुत्र श्रीराम, जाति गुर्जर, निवासी तुराणा, तहसील बानसूर जिला अलवर, राजस्थान।
5. विद्या बाई पुत्री उमराव, जाति गुर्जर, निवासी तुराणा, तहसील बानसूर जिला अलवर, राजस्थान।
6. सुमन बाई पुत्री श्रीराम, जाति गुर्जर, निवासी तुराणा, तहसील बानसूर जिला अलवर, राजस्थान।
7. हनुमान पुत्र भूरा, जाति गुर्जर, निवासी तुराणा, तहसील बानसूर जिला अलवर, राजस्थान।
8. तहसीलदार नारायणपुर तहसील नारायणपुर जिला अलवर।

——रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थितिः—

1. **श्री विजयसिंह राठौड़ एडवोकेट अपीलार्थी की ओर से**
2. **श्री सांवतराम गुर्जर एडवोकेट रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 7 की ओर से**

निर्णय

दिनांक 20.12.2023

अपीलार्थी द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बानसूर जिला अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.08.2021 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के तहत पेश की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दौहरात हुए कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 7 के प्रार्थना पत्र को दिनांक 05.07.2021 को ही दर्ज रजिस्टर कर पत्थरगढ़ी के आदेश तहसीलदार नारायणपुर को दिये गये जिस आदेश की जानकारी अपीलान्ट को होने पर अपीलान्ट ने एक प्रार्थना पत्र दिनांक 26.07.2021 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि खसरा नम्बर 151, 157, 152 अपीलान्ट के कब्जे काश्त की खातेदारी भूमि है। इसलिये पत्थरगढी स्थगित की जावें जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 02.08.2021 को पत्थरगढ़ी स्थगित कर दी गई। तत्पश्चात् दिनांक 04.08.2021 को अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र आदेश—1 नियम—10 जाप्ता दीवानी की बहस दिनांक 06.08.2021 को सुनी गई और दिनांक 11.08.2021 को अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र खारिज करते हुए आराजी खसरा नम्बर 156 रकबा 11 बिस्वा के संशोधित आदेश विधि विरूद्ध तरीके से गलत खिलाफ मनशाये कानूनन व वाकेआत जारी कर दिये जो काबिले निरस्त है।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त

P.T.O.

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 11.08.2021 अपीलान्ट के पीछे से बाला–बाला पारित किया गया है जिसमें अपीलान्ट को कोई साक्ष्य व सुनवाई का अवसर नही दिया गया जबकि अपीलान्ट की आराजी खसरा नम्बर 151, 152, 157 विवादित आराजी खसरा नम्बर 150, 153, 156 से लगते हुऐ है। इसलिये भी अधीनस्थ न्यायालय को कोई भी आदेश देने से पूर्व अपीलान्ट को सुना जाना कानूनन आवश्यक था लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को बिना सुनवाई का अवसर दिये ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। उन्होने आगे कथन किया है कि अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र आदेश–1 नियम–10 सी.पी.सी. पर कोई ध्यान ना देते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया। इसलिये अपीलार्थी ने न्यायालय श्रीमान् के समक्ष प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी. अपील के साथ अलग से पेश किया गया है जो स्वीकार योग्य होने से स्वीकार फरमाया जावें।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि इसी आराजी के सम्बन्ध में एक वाद न्यायालय सहायक कलक्टर बानसूर जिला अलवर के यहॉ विचाराधीन है जिसके सम्बन्ध में भी अधीनस्थ न्यायालय को अवगत करा दिया गया था। इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करने अहम कानूनी गलती है जो कबिले गौर न्यायालय श्रीमान् है। उन्होने आगे कथन किया है कि बन्दोबस्त सम्वत् 2021 में नक्शा बनाते समय कर्मचारियों ने गलत तरीके से तरमीम कर खसरा नम्बर 151 में 5 मीटर रकबा कम करते हुए खसरा नम्बर 150 के दक्षिण भाग में दर्शा दिया जिस सम्बन्ध में पक्षकारों के मध्य एक वाद बउनुवान मातादीन बनाम पप्पूडी देवी विचाराधीन है। इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यों पर बिना गौर किये ही अपीलाधीन आदेश पारित किया जो विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि विवादित आराजी के सम्बन्ध में नियमित वाद अन्तर्गग धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विचाराधीन है तो ऐसी स्थिति में यह समरी प्रोसेडिंग अन्तर्गत धारा 111, 128 भू राजस्व अधिनियम को स्थगित कर देना चाहिये था लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यों पर बिना गौर किये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.08.2021 पारित किया है जो विधि विरूद्ध एवं न्यायिक प्रक्रिया के विपरित होने से खारिज योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बानसूर जिला अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.08.2021 को निरस्त फरमाया जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 7 ने कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट्स द्वारा अपने खाते की आराजी का दिनांक 18.06.2021 को विधिवत सीमाज्ञान कराया गया है तथा रेस्पोडेन्ट्स द्वारा अपनी उक्त आराजी पर पत्थरगढी करवाने हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 05.07.2021 को पत्थरगढी के आदेश पारित किये गये है। जिसके सम्बन्ध में अपीलार्थी को एतराज करने का कानूनन हक अधिकार नही है उसके उपरान्त भी अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एतराज करने एवं प्रार्थना पत्र आदेश–1 नियम–10 पेश करने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त ही अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र आदेश–1 नियम–10 खारिज किया गया है। उन्होने आगे कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 08.09.2021 को प्रकरण का गुणावगुण पर दोनों पक्षों की उपस्थिति में

P.T.O.

पत्थरगढी के आदेश पारित किये गये है उसके उपरान्त भी अपीलार्थी द्वारा रेस्पोडेन्ट्स को अनावश्यक रूप से परेशान करने के लिये न्यायालय श्रीमान् के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई है जो खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 7 ने कथन किया है कि अपीलार्थी द्वारा अपनी अपील में जिस वाद का अंकन किया गया है वह कृषि भूमि का नही है बल्कि मकान सम्बन्धी विवाद का है। उन्होने दौराने बहस यह भी कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट्स द्वारा अपने खाते की भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगढी करवा रहे है, उसी प्रकार अपीलार्थी भी अपनी भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगढी करवा सकता है जिसके सम्बन्ध में रेस्पोडेन्ट्स को कोई आपत्ति नही है। अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों के मद्देनजर अपील अपीलान्ट खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया जिससे जाहिर होता है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 7 वाके ग्राम तुराना तहसील बानसूर स्थित आराजी खसरा नम्बर 150, 153, एवं 156 के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है तथा प्रत्येक खातेदार काश्तकारान को अपनी आराजी की एवं फसलों की सुरक्षार्थ आराजी के सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी करवाने के अधिकार राजस्थान भू राजस्व अधिनियम एवं काश्तकारी अधिनियम में कानूनन प्रदत्त है और उन्हे अधिकारों के तहत रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 7 की आराजी का सीमाज्ञान दिनांक 18.06.2021 किया गया है जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों की उपस्थिति में पत्थरगढ़ी किये जाने के अपीलाधीन आदेश पारित किये गये है जिसमें किसी प्रकार की कानूनी त्रुटि प्रतीत नही होती है एवं अपीलान्ट को रेस्पोडेन्ट की आराजी के सम्बन्ध में पारित उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.08.2021 के सम्बन्ध में उज्रात करने के अधिकार कानूनन प्रदत्त नही है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बानसूर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.08.2021 को यथावत रखा जाता है। यदि अपीलान्ट भी अपनी आराजी का सीमाज्ञान व पत्थरगढी करवाना चाहे तो इसके लिये अपीलान्ट नियमानुसार सीमाज्ञान व पत्थरगढी करवाने हेतु स्वतंत्र है।

(असलम शेर खान)
अति.संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 20.12.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति.संभागीय आयुक्त,
जयपुर।